ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

30 November 2024

भारतीय रासायनिक परिषद ने 2024 ओपीसीडब्ल्यू–द हेग पुरस्कार जीता

सन्दर्भ: हाल ही में हेग में आयोजित रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के राज्य पक्षों के सम्मेलन (सीएसपी) के 29वें सत्र के दौरान भारतीय रासायनिक परिषद (आईसीसी) को ओपीसीडब्ल्यू-द हेग 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया।

- यह पहली बार है जब यह पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग निकाय को दिया गया है। यह पुरस्कार रासायनिक सुरक्षा, रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के अनुपालन और भारतीय रासायनिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देने में आईसीसी के योगदान को रेखांकित करता है।

रासायनिक सुरक्षा एवं संरक्षा में भारतीय रासायनिक परिषद (आईसीसी) का योगदान:

- आईसीसी भारत के 80% से अधिक रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका कुल मूल्य 220 बिलियन डॉलर है।
- यह पुरस्कार रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, सीडब्ल्यूसी के अनुपालन को सुनिश्चित करने और भारतीय रासायनिक उद्योग में सुरक्षा प्रथाओं में सुधार लाने में आईसीसी के नेतृत्व को मान्यता देता है।

आईसीसी की प्रमुख पहल:

- **रासायनिक हथियार कन्वेंशन हेल्पडेस्क:** आईसीसी ने सीडब्ल्यूसी (रासायनिक हथियार सम्मेलन) के प्रावधानों को समझने और अनुपालन सुनिश्चित करने में उद्योग की सहायता के लिए एक हेल्पडेस्क की स्थापना की। इस पहल से अनुपालन में वृद्धि हुई और रासायनिक घोषणाओं की कुशल ई-फाइलिंग संभव हुई।
- **'नाइसर ग्लोब' पहल:** यह पहल रासायनिक परिवहन सुरक्षा पर केंद्रित है। रासायनिक शिपमेंट की वास्तविक समय निगरानी प्रदान करती है और भारत में खतरनाक सामग्रियों के सुरक्षित परिवहन के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाती है।

ओ.पी.सी.डब्लू. और सी.डब्ल्यू.सी. के बारे में:

- एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका कार्य रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के प्रावधानों को लागू करना है। सीडब्ल्यूसी 1997 से प्रभावी है।
- सीडब्ल्यूसी एक संधि है जिसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों का उन्मूलन करना तथा उनके प्रयोग को रोकना है।
- भारत सीडब्ल्यूसी का मूल हस्ताक्षरकर्ता है और इसके लक्ष्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत में एनएसीडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी के राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

ओपीसीडब्ल्यू का नोबेल शांति पुरस्कार:

- 2013 में, ओपीसीडब्ल्यू को दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को खत्म करने के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 2014 में ओपीसीडब्ल्यू ने ओपीसीडब्ल्यू-द हेग पुरस्कार की स्थापना की, जो सीडब्ल्यूसी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।
- **जिम्मेदार देखभाल (RC) कार्यक्रम:**
  - » यह कार्यक्रम रासायनिक सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।
  - » इसमें RC का सुरक्षा कोड शामिल है, जो रासायनिक उद्योग में सुरक्षा और संरक्षा को मजबूत करता है।

आईसीसी के नेतृत्व की मान्यता:

- ओपीसीडब्ल्यू-द हेग पुरस्कार भारत के रासायनिक क्षेत्र में जिम्मेदार औद्योगिक प्रबंधन के प्रति आईसीसी की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है।
- आईसीसी ने सीडब्ल्यूसी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने और वैश्विक रासायनिक सुरक्षा प्रयासों में योगदान दिया है।
- भारत के तेजी से बढ़ते रासायनिक उद्योग में अनुपालन, सुरक्षा और संरक्षा प्रथाओं को बेहतर बनाने में आईसीसी का नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा है।

'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (ONOS) पहल

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के लगभग 6,300 सरकारी संस्थानों को विद्वानों की पत्रिकाओं तक केंद्रीकृत और आसान पहुँच प्रदान करना है।

- ONOS का उद्देश्य 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 पत्रिकाओं तक सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को एकीकृत मंच प्रदान करना है। 1 जनवरी, 2025 से उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) इस मंच का उपयोग कर सकेंगे।
- वर्तमान में, संस्थान 10 पुस्तकालय संघों और व्यक्तिगत सदस्यताओं के माध्यम से 2,500 संस्थानों में 8,100 पत्रिकाओं तक पहुँचते हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

यह खंडित प्रणाली दोहरेपन और अकुशलता को बढ़ावा देती है, जिसे ONOS समाप्त करेगा।

ओएनओएस की मुख्य विशेषताएं:

- **एकीकृत मंच:** एक केंद्रीकृत प्रणाली जोकि संस्थानों में सदस्यता की अधिकता को समाप्त करती है।
- **अग्रणी प्रकाशकों तक पहुंच:** इसमें एल्सेवियर, स्प्रिंगर, विले, टेलर एंड फ्रांसिस और आईईईई जैसे प्रकाशकों की पत्रिकाएं शामिल हैं।
- **सरलीकृत पहुंच:** संस्थाओं को 13,000 पत्रिकाओं तक पहुंच के लिए केवल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा।
- **बजट आवंटन:** सरकार ने 2025, 2026 और 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- **लचीलापन:** संस्थाएं मंच पर उपलब्ध 13,000 पत्रिकाओं के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं की व्यक्तिगत रूप से सदस्यता ले सकती हैं।

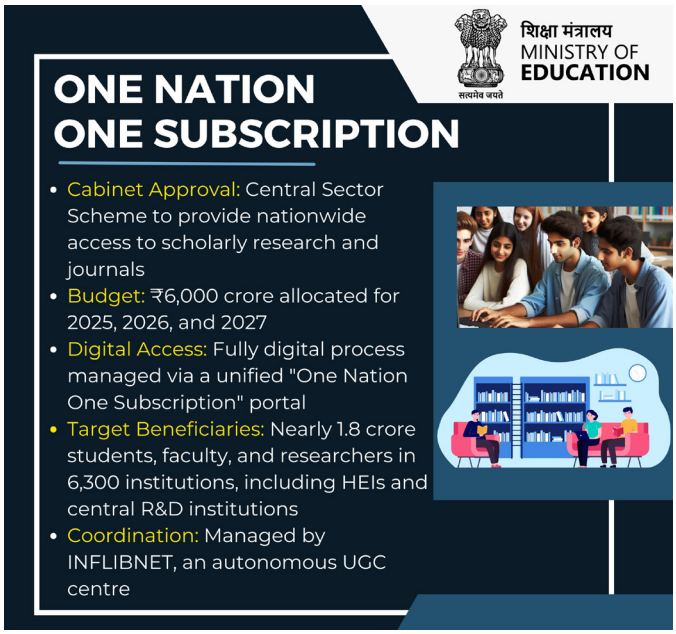

ओएनओएस के लाभ:

- **पहुंच का विस्तार:** लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोध कर्ताओं को पत्रिकाओं तक पहुँच मिलेगी, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्र भी शामिल हैं।
- **लागत दक्षता:** दोहराव और अतिरिक्त खर्च को कम कर संस्थानों की लागत बचाने में मदद करेगी।
- **बेहतर सौदेबाजी शक्ति:** वार्षिक सदस्यता लागत 4,000 करोड़ रुपये से घटकर 1,800 करोड़ रुपये हो गई है।
- **डेटा इनसाइट:** प्लेटफॉर्म सरकार को पत्रिकाओं के उपयोग की निगरानी और संसाधनों के बेहतर उपयोग की योजना बनाने में मदद करेगा।

आधार:

- ONOS पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप है, जोकि अनुसंधान के महत्व को प्रमुखता देती है। प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है।

दीर्घकालिक दृष्टि:

- ONOS का उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच को सरल बनाना, लागत में कमी लाना और एक सशक्त अनुसंधान वातावरण का निर्माण करना है। इससे भारत की शिक्षा और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षाओं को मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति

सन्दर्भ: हाल ही में गृह मंत्रालय आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति पेश करने की योजना बना रहा है। इस नीति का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना, आतंकवाद विरोधी (CT) इकाइयों को सुदृढ़ करना और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में विशेष इकाइयाँ स्थापित करना है।

नीति के प्रमुख घटक:

- **एकसमान विशेषीकृत आतंकवाद इकाइयाँ:** प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में समर्पित आतंकवाद-रोधी इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी, जोकि क्षेत्रीय आतंकवाद की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों और क्षमता से सुसज्जित होंगी।
- **प्रमुख उप-इकाइयाँ:**
  - **जेल निगरानी:** जेलों के भीतर आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी रखना।
  - **भाषा विशेषज्ञ:** विशेष रूप से भाषाई रूप से विविध क्षेत्रों में प्रभावी संचार सुनिश्चित करना।
  - **कट्टरपंथ से मुक्ति:** कट्टरपंथी व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **वित्तीय खुफिया जानकारी:** आतंकवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखना और उसे बाधित करना।
- **उन्नत हथियार:** आधुनिक खतरों से निपटने के लिए इकाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा अनुशंसित उन्नत हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा।
- **मानकीकृत प्रशिक्षण:** एकरूपता और समन्वय सुनिश्चित करने के

लिए सभी इकाइयाँ एनएसजी द्वारा निर्धारित एक सामान्य प्रशिक्षण मॉड्यूल का पालन करेंगी।

- **नीति का उद्देश्य:** आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरे भारत में समन्वित, सुसज्जित और प्रशिक्षित इकाइयाँ स्थापित करना है।

विशेष इकाइयों की वर्तमान स्थिति:

- 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समर्पित आतंकवाद-रोधी इकाइयाँ (एटीएस, एसटीएफ) हैं।
- 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन इकाइयों को पुलिस स्टेशन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- क्षेत्रीय खतरों के आधार पर इकाइयों का आकार 80 से 650 कर्मियों तक होता है।

आतंकवाद क्या है?

- आतंकवाद राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नागरिकों के खिलाफ हिंसा, धमकी या भय का गैरकानूनी उपयोग है। यह गैर-लड़ाकों को निशाना बनाकर भय का माहौल उत्पन्न करता है और समाज को अस्थिर करता है, जिसमें बम विस्फोट, हत्या, अपहरण और बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं।

भारत में आतंकवाद से संबंधित कानून और अभिसमय :

भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनों को लागू किया है:

- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967:** यह कानून सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी संपत्तियाँ जब्त करने और संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए):** यह एजेंसी 2008 में स्थापित की गई थी, ताकि आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच की जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का सामना किया जा सके।
- **आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) 2002:** यह कानून 2004 में निरस्त कर दिया गया था, जो निवारक निरोध और कड़े उपायों की अनुमति देता था।
- **आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधि नियम (टाडा) 1985:** यह कानून 1995 में निरस्त कर दिया गया था, जोकि निवारक निरोध की अनुमति देता था।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- भारत निम्नलिखित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है:
  - **संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद सम्मेलन:** इसमें आतंकवादी वित्तपोषण और परमाणु आतंकवाद से संबंधित सम्मेलन शामिल हैं।
  - **हेग और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन:** यह विमान अपहरण और विमानन सुरक्षा खतरों को अपराध घोषित करने पर केंद्रित है।

अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका :

- **इंटरपोल:** सीमा पार पुलिस सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने में सुविधा प्रदान करता है।
- **एफएटीएफ:** यह आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक उपायों को बढ़ावा देता है।

बुसान में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता

सन्दर्भ: हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आयोजित वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता में यह चिंता व्यक्त की गई कि देशों पर प्लास्टिक के विशिष्ट विकल्पों के अनिवार्य उपयोग के लिए दबाव डाला जा रहा है।

- वर्ष 2022 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने के बावजूद, भारत ने विशिष्ट सामग्रियों या प्रौद्योगिकियों के अनिवार्य 'उपयोग' का समर्थन करने अनिच्छा व्यक्त की है।

वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में :

- वैश्विक प्लास्टिक संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के तहत विकसित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना, उत्पादन को सीमित करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और प्लास्टिक के लिए टिकाऊ विकल्प खोजने के लिए देशों के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ बनाना है।

इतिहास:

- **यूएनईए प्रस्ताव (2018):** यूएनईए ने प्लास्टिक कचरे पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक अंतर-सरकारी प्रक्रिया की स्थापना हुई।
- **आईएनसी गठन (2022):** यूएनईए ने कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर बातचीत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। संधि का मसौदा तैयार करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) का गठन किया गया, जिसकी पहली वार्ता उरुग्वे में हुई।

प्रगति:

- **अंतर-सरकारी वार्ता समिति सत्र:** वार्ता 2022 में शुरू हुई, जिसके सत्र उरुग्वे, फ्रांस, कनाडा, केन्या और बुसान (2024) में हुए। लक्ष्य और वित्तीय तंत्र जैसे प्रमुख संधि तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

संधि पर भारत का रुख:

- **विकल्पों के 'उपयोग' के विरुद्ध प्रतिरोध:**

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

» भारत ने गैर-प्लास्टिक विकल्प विकसित करने में अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि वह इन विकल्पों के अनिवार्य उपयोग का समर्थन नहीं करेगा।
» यह रुख विशिष्ट समाधानों को अपनाने में भारत की लचीलेपन की इच्छा और बाहरी दबावों के प्रति प्रतिरोध को उजागर करता है।

- **प्राथमिक प्लास्टिक उपयोग को कम करने पर असहमति:**
  » भारत ने उत्पादों में प्राथमिक प्लास्टिक पॉलिमर और हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करने के प्रस्ताव पर असहमति जताई।
  » पेट्रोकेमिकल्स, जोकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई।
- **विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता:**
  » भारत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षमताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, विशेष रूप से विकासशील देशों में।
  » 'साझा किन्तु विभेदित उत्तरदायित्व' सिद्धांत के अनुरूप, भारत ने विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का आह्वान किया।

बहुपक्षीय कोष का प्रस्ताव:

- भारत ने विकासशील देशों को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में सहायता के लिए एक बहुपक्षीय कोष की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जोकि ओजोन क्षरण के लिए सफल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कोष के अनुरूप होगा।
- यह कोष विकासशील देशों की सहायता के लिए अनुदान (ऋण नहीं) प्रदान करेगा, जिसमें विकसित देशों और निजी क्षेत्र का योगदान भी शामिल होगा।

प्लास्टिक उत्पादन पर वैश्विक असहमति:

- आईएनसी-5 वार्ता में असहमति सामने आई है, विशेष रूप से उन देशों से, जोकि प्लास्टिक उत्पादन पर निर्भर हैं, जैसे भारत, चीन और अमेरिका।
- इन देशों ने प्लास्टिक उत्पादन में भारी कटौती से उत्पन्न होने वाले आर्थिक व्यवधान के बारे में चिंता जताई है।
- आईएनसी-5 अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत 18-पृष्ठ के दस्तावेज के लगभग हर वाक्य पर इन देशों ने आपत्ति की है, जिससे एक सुव्यवस्थित और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर पहुँचने में चुनौती उत्पन्न हो गई है।
- इसका लक्ष्य एक ऐसी संधि को अंतिम रूप देना है जोकि सभी देशों के हितों को संतुलित करे और प्लास्टिक प्रदूषण पर समन्वित वैश्विक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करे।

पॉवर पैक्ड न्यूज

भारतीय सेना ने 'एकलव्य' ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

- हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म 'एकलव्य' की शुरुआत की है, जोकि भारतीय सेना की परिवर्तन और प्रौद्योगिकी अवशोषण (Technology Assimilation) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए 'एकलव्य' नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। यह पहल भारतीय सेना के 2024 की थीम 'प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष' के साथ संरेखित है। इस प्लेटफॉर्म को 'भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान' (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के माध्यम से शून्य लागत पर विकसित किया गया है। इसे आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है।
- इसका स्केलेबल डिजाइन कई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को जोड़ता है, जो वर्तमान में 17 श्रेणी 'A' संस्थानों में 96 पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं
- **इस प्लेटफॉर्म पर तीन प्रमुख पाठ्यक्रम श्रेणियाँ हैं:**
  » **पाठ्यक्रम-पूर्व तैयारी कैप्सूल:** बुनियादी अध्ययन सामग्री को ऑनलाइन स्थानांतरित करते हुए, ये पाठ्यक्रम व्यावहारिक अनुप्रयोगों और उभरती अवधारणाओं के लिए शारीरिक प्रशिक्षण को अनुकूलित करते हैं।
  » **कार्य-विशिष्ट पाठ्यक्रम:** सूचना युद्ध और वित्तीय नियोजन जैसी विशिष्ट भूमिकाएं निभाने वाले अधिकारियों के लिए तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम कार्यस्थल पर दक्षता और विशेषज्ञता को बढ़ाते हैं।
  » **व्यावसायिक विकास सुइट:** रणनीतिक कौशल, नेतृत्व और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित।
- एकलव्य शोध सामग्री के साथ एक खोज योग्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है, जो निरंतर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह पहल सैन्य प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने और अधिकारियों की तैयारी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात अग्रणी

- पीएम-सूर्य घर के तहत छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात अग्रणी है। अब तक देशभर में लगभग 26 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, और 6.16 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं।
- गुजरात में सबसे अधिक 2.81 लाख से अधिक रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। महाराष्ट्र में 1.20 लाख से अधिक स्थापनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि केरल और उत्तर प्रदेश में 51,000 से अधिक रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं।
- यह योजना पूरे भारत में सभी आवासीय उपभोक्ताओं के लिए खुली है, इसके 1 करोड़ घरों के लक्ष्य के लिए कोई राज्यवार सीमा नहीं है। निवासी www.pmsuryaghar.gov.in पर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से छत पर सौर ऊर्जा स्थापना के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।
- यह पहल घरों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान मिलता है।

मासातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए

- एशियाई विकास बैंक (ADB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मसातो कांडा को ADB का 11वां अध्यक्ष चुना है। कांडा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांडा, असाकावा का स्थान लेंगे और उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2026 तक चलेगा।
- 1966 में स्थापित ।क्ठ मनीला, फिलीपींस में स्थित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। बैंक के दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- एडीबी के वर्तमान में 68 सदस्य हैं, जिनमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के देश और गैर-क्षेत्रीय विकसित देश भी शामिल हैं।

K4 मिसाइल

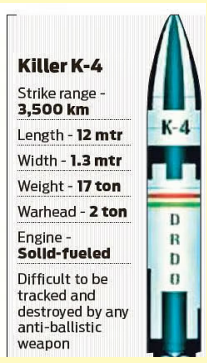

- यह परीक्षण भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सामरिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो उसे भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु मिसाइलों को प्रक्षेपित करने में सक्षम चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देता है।
- लगभग 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मिसाइल का परीक्षण विशाखापत्तनम के पास किया गया। यह एक ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसका पहले पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से परीक्षण किया जा चुका है।
- इस परीक्षण ने मिसाइल की लगभग पूरी रेंज को प्रदर्शित किया, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा डिजाइन की गई स्वदेशी प्रणालियों से सुसज्जित पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट के जलावतरण के साथ भारत के परमाणु प्रतिरोध को मजबूत करने के लक्ष्य में योगदान मिला।
- यह मिसाइल परीक्षण भारत द्वारा लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के तुरंत बाद किया गया है, जोकि मैक 5 (लगभग 1,220 किमी/घंटा) से अधिक गति से यात्रा कर सकती है।
- हाइपरसोनिक मिसाइलें बढ़ते क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से चीन के साथ, के जवाब में भारत की सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र हैं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com